शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / मान्यता / 2024 / 5729 भोपाल, दिनांक 18.12.24

प्रति,

1 **कलेक्टर**
समस्त जिला–म.प्र.

2 **जिला परियोजना समन्वयक**
समस्त जिला–म.प्र.

3 **विकासखंड श्रोत समन्वयक**
समस्त जनपद शिक्षा केन्द्र–म.प्र.

मान्यता सत्र 2025–26
निर्देश–1

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सत्र 2025–26 हेतु कक्षा–8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इस हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 (संशोधित नियम दिनांक 06.01.2023) के अनुसार मान्यता हेतु प्रावधान किये गये हैं।

इसके अनुसार वर्तमान में मोबाइल एप के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु अशासकीय संस्थाओं / शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं RTE MP मोबाइल एप का उपयोग करते हुये मान्यता नवीनीकरण / नवीन मान्यता हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिये अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अशासकीय स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ सम्पन्न किया जाये।

जिलों में संचालित कक्षा–8 तक के समस्त प्रायवेट स्कूलों के (नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण) आवेदन के लिए सत्र 2025–26 में जारी किए जाने वाली मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं समय सारणी :–

क	कार्यवाही	कार्यवाही हेतु समय सीमा
1	अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण हेतु RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाईन आवेदन करना	**23 दिसम्बर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक**
2	विकासखंड श्रोत समन्वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना	अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर

3	जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण	• अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 • बी.आर.सी.सी. द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस के अंदर
4	कलेक्टर के समक्ष अपील करना	जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा।
5	कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण	स्कूल के अपील आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक
6	आयुक्त / संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील	कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक

नोट– उक्त समय सारणी द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय अपील तक की समस्त कार्यवाही नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण की जाना है।

1–अशासकीय स्कूल की मान्यता हेतु मुख्य बिन्दुः–

1. यदि कोई संस्था सत्र 2025–26 से नवीन स्कूल / नवीनीकरण संचालित करना चाहता है, तो संबंधित संस्था द्वारा RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड़ किया जा सकता है।
2. स्कूल का संचालन पंजीकृत सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है।
3. राज्य सरकार / सी.बी.एस.ई / आई.सी.एस.ई. / आई.जी.सी.एस.ई / आई.बी के पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता हेतु प्रत्येक कक्षा में अनुसरित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में चाही गई जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
4. **जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा भी उपरोक्त समय सारणी अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTE MP मोबाइल एप से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिये www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर ओटीपी दर्ज कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात् RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।**
5. ध्यान रखा जाए कि स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु मान्यता अनलॉक करते ही पूर्व की मान्यता समाप्त हो जाएगी एवं पुनः इसी आईडी के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो जायेगा। अतः मान्यता अनलॉक करने के बाद नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रकिया अनुसार ही मान्यता आवेदन करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई स्कूल जिसकी मान्यता 2026 या 2027 तक है तथा वह स्कूल कक्षा की वृद्वि करना चाहता है, अर्थात् यदि कोई स्कूल 5 वीं तक है, परन्तु उसे 8 वीं तक करना चाहता है या स्कूल का पता परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे स्कूल द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है। कक्षा वृद्वि करने हेतु अथवा पता परिवर्तन हेतु मान्यता अनलॉक करना होगी एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन कर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. सत्र 2024–25 में जिन शालाओं की नवीनकरण मान्यता किसी कारण से नवीनीकृत नही हो सकी थी, ऐसे स्कूल को सत्र 2025–26 में नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विशेष शुल्क राशि रूपये 10,000 / –(दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाइन जमा करते हुए मान्यता नवीनीकरण की तरह आवेदन का प्रावधान किया गया है।

8. नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान आरटीई पोर्टल पर ई–पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा किया जाना अनिवार्य है।
9. कोई संस्था नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण एवं विद्यालय में कक्षा उन्नयन हेतु आवेदन करती है, तो यह सुनिश्चित करें कि मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही उनके स्कूल में नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए अर्थात जब तक मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हो जाता है तब तक नवीन छात्रों का प्रवेश नही किया जाये।

2–स्कूल संचालन हेतु आवश्यक मान एवं मानकः–

- **आवश्यक अधोसंरचना :–**

1. स्कूल का भवन सुरक्षा मानकों का पालन करता हो अर्थात् सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो।
2. स्कूल संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कक्ष, कार्यालय कक्ष तथा प्रधानाध्यापक कक्ष होना अनिवार्य है।
3. यदि स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता है तो स्वच्छ भोजनालय सह भण्डार कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।
4. स्कूल का स्वयं का भवन होने की स्थिति मे भवन–भूमि के दस्तावेज होना अनिवार्य है।
5. किराये के भवन में स्कूल संचालित होने की स्थिति में 3 वर्ष हेतु किराएदारी का रजिस्ट्रीकृत अभिलेख होना अनिवार्य है।
6. स्कूल हेतु खेल मैदान की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

- **स्कूल में उपलब्ध अन्य आवश्यक सुविधायेंः–**

1. स्कूल में सभी सुविधाओं तक पहुंच, बाधा रहित होना अनिवार्य है।
2. स्कूल में पर्याप्त पठन–पाठन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है।।
3. खेलकूद एवं खेल उपकरणः– प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध होना अनिवार्य है।
4. स्कूल में पुस्तकालय होना अनिवार्य है।
5. पुस्तकालय में पाठयपुस्तकों से भिन्न प्रति छात्र कम से कम दो पुस्तकें होना अनिवार्य है।
6. स्कूल में पत्रिकाऐं/समाचार पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।
7. स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
8. भारतीय/पश्चिमी प्रसाधन उपलब्ध होना अनिवार्य है।
9. स्कूल में बालकों प्रसाधन (प्रति 50 छात्र) होना अनिवार्य है।
10. स्कूल में बालिकाओं हेतु प्रसाधन (प्रति 50 छात्रा) होना अनिवार्य है।
11. दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त प्रसाधन अनिवार्य है।
12. स्कूल में क्रियाशील स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरण (प्रति तल न्यूनतम 1) उपलब्धता अनिवार्य ।
13. प्रत्येक छात्र के लिए बैठने तथा अध्ययन के लिए समुचित फर्नीचर अनिवार्य है।

- **शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकः–**

1. स्कूल में छात्र संख्या मान से विषयवार एंव कक्षावार प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है।
2. स्कूल में पूर्ण कालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है।
3. समस्त शिक्षकों का GEO टेग फोटो लेकर उनका आधार सत्यापन e-KYC करना अनिवार्य है। एक शिक्षक का एक से अधिक स्कूल में पंजीयन कर आधार सत्यापन नही किया जा सकेगा।
4. स्कूल द्वारा आगामी 03 वर्ष (मान्यता अवधि) तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जाना अनिवार्य है।

3– मान्यता अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्कः–

1. नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 5,000 रूपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 7,500 रूपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 10,000 रूपये निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा।
2. मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 2,000 रूपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3,000 रूपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रूपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा किया जाना होगा।
3. प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु शुल्कराशि रू. 5,000/– जमा किया जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा।
4. विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी/ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में रू. 5,000/– की राशि अतिरिक्त जमा करने पर निर्धारित तिथि से आगामी विलंब शुल्क तिथि तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा।
5. नवीनीकरण के समय स्कूल का पता परिवर्तन हेतु रूपये 5,000/–शुल्क देय होगा। स्कूल का पता परिवर्तन केवल ग्राम/जोन अथवा वार्ड के अंदर ही मान्य होगा।

4. सुरक्षा निक्षेपः–

(क) नवीन मान्यता/मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा 03 वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया है। इस हेतु सारणी में वर्णित अनुसार निम्नलिखित रीति में एक मुश्त राशि जमा करने के उपरांत पोर्टल पर उसका विवरण दर्ज किया जाएगा।

क्रमांक	छात्रों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय+ माध्यमिक विद्यालय
1	250 तक	रू. 20000/–	रू. 25000/–	रू. 30000/–
2	250 से अधिक	रू. 30000/–	रू. 35000/–	रू. 40000/–

इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में **शाला की समिति सचिव तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के** रूप में जमा की जाएगी। एक शाला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि (फिक्स डिपॉजिट) का उपयोग निर्धारित शाला हेतु ही किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(ख) संस्था द्वारा शाला की मान्यता अभ्यार्पित करने अथवा मान्यता की समय–सीमा समाप्त होने के उपरांत मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन न करने की स्थिति में, स्कूल के लिखित अनुरोध पर, सुरक्षा राशि से शोध्यों की कटौती करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निक्षेप हेतु जमा की गयी राशि, जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी।

<u>5. अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–</u>

1. स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTE MP एप डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टॉल किया जाए। स्कूल के पासवर्ड का दुरूपयोग न हो इसको ध्यान में रखते हुए,

स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है, कि अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नही करें, यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है, तो उसके दुरूपयोग होने की संभावना है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी।

2. मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है, उसी ID के माध्यम से मान्यता अनलॉक करते हुए, मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि पूर्व से संचालित स्कूल मान्यता नवीनीकरण हेतु ही आवेदन करें, उनके द्वारा नवीन मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया जाए।
3. यदि कोई प्रायवेट स्कूल दूरस्थ गांव में स्थापित है, जहां मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जहां मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध है, वहां लॉगिन करके मोबाइल एप से मास्टर डेटा डाउनलोड किया जाए। इसके पश्चात् आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके पश्चात जहॉ नेटवर्क उपलब्ध हो वहॉ जाकर आवेदन को लॉक कर फारवर्ड करें।
4. मान्यता हेतु आवेदन करते समय मोबाइल एप के माध्यम से चाही गई पूर्ण जानकारी अंकित की जाये इसके माध्यम से दर्ज की गयी जानकारी rteportal.mp.gov.in पर अशासकीय स्कूल के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। स्कूल की जिम्मेदारी है कि जानकारी लॉक करने के पूर्व सावधानी से चेक कर लें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार किया जा सकता है। जानकारी लॉक किये जाने के बाद इसमें किसी भी स्तर से कोई संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अशासकीय स्कूल का होगा।
5. आवेदन लॉक करने के पश्चात अशासकीय स्कूल द्वारा ई–पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात् आवेदन को विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) को आवेदन अग्रेषित किया जाए, निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
6. स्कूल द्वारा अग्रेषित किये गये आवेदन का प्रिंट आउट तथा उसमें अंकित जानकारी से संबंधित दस्तावेज एवं आवश्यक फोटोग्राफ अपने पास रखे जाए। स्कूल को किसी भी प्रकार का प्रिन्ट दस्तावेज विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) कार्यालय मे जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. RTE MP मोबाईल एप से आवेदन करने के पश्चात् लॉग आउट अवश्य करें।
8. आवेदन का प्रिंट आउट एवं आवेदन अनुसार संलग्न दस्तावेजो की दो प्रतियां , अपलोड किये गये फोटो ग्राफ को विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन दर्ज की गई है, केवल वही जानकारी मान्यता प्रदान करने के दौरान निरीक्षण हेतु मान्य होगी।
9. **निर्धारित समय–सीमा में ऑनलाइन आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी।**

6–<u>विकासखंड श्रोत समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–</u>

1. विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) द्वारा स्कूल के भौतिक निरीक्षण की कार्यवाही प्राप्त मान्यता आवेदन के क्रम से की जाए।
2. स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन मय फोटोग्राफ एवं निर्धारित जमा शुल्क सहित विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। उस जानकारी का प्रिंट निकालकर विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) संबधित स्कूल में निरीक्षण हेतु जाएगें एवं स्कूल द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन के आधार पर निरीक्षण करेगे।

3. स्कूल द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन एवं अपलोड दस्तावेजों की दो प्रतियां स्कूल द्वारा विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) को निरीक्षण के समय ही उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) निरीक्षण के लिए स्कूल आवेदन का प्रिंट आउट स्वयं लेकर जाए। मान्यता निरीक्षण के समय स्कूल द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त शिक्षक संस्था में उपलब्ध होना अनिवार्य है।

4. आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन प्रदाय की गई है, केवल वही जानकारी मान्यता आवेदन निरीक्षण हेतु मान्य होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी या प्रपत्र विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक(बी.आर.सी.सी.) द्वारा संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

5. विकासखण्ड श्रोत समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) की जिम्मेदारी है, कि मान्यता हेतु स्कूल द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया हो। इसका मिलान कर लें।

6. स्कूल द्वारा आवेदन में दर्ज जानकारी के निरीक्षण में वास्तविक जानकारी से पुष्टि होने एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान एवं मानको की पूर्ति होने पर ही विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी. आर.सी.सी.) द्वारा मान्यता की अनुशंसा की जाये अन्यथा नही। **विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक की जिम्मेदारी है कि निर्धारित समयावधि में आवेदन का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित करें।** विकासखंड श्रोत समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) द्वारा की गयी अनुशंसा गलत पाये जाने की स्थिति में, विकासखंड श्रोत समन्वयक पर भर्ती नियम में उल्लेखित अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7. विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक निरीक्षण के उपरांत अपने यूजर आईडी का उपयोग कर RTE MP एप के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट तत्काल जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेगें। विकासखण्ड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) द्वारा स्कूल का आवेदन तथा निरीक्षण टीप अभिलेख के रूप में अपने कार्यालय में रिकार्ड के रूप में संधारित करेंगें।

7 –<u>जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:</u>–

1 मान्यता आवेदनों का निराकरण जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक के क्रम से किया जाए।

2 विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.) के प्रतिवेदन से असहमत होने की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्वयं स्कूल का निरीक्षण कर निर्णय लिया जाए।

3 स्कूल के आवेदन तथा विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.)के निरीक्षण उपरांत वास्तविक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार अथवा जिला परियोजना सन्वयक के निरीक्षण उपरांत संतुष्टि कारक समाधान हो जाने पर, कि अशासकीय स्कूल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 के अधीन विहित सन्नियमों एवं मानकों की पूर्ति करता है, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 जनवरी 2023 में विहित मान्यता की शर्तो के अध्यधीन रहते हुए मान्यता प्रमाण पत्र स्वयं अपने डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए मान्यता जारी करेगा।

4 जिला परियोजना समन्वयक मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसकी कार्यालयीन प्रति तथा संपूर्ण अभिलेख (मान्यता आवेदन सहपत्रों सहित, स्कूल के फोटोग्राफ, निर्धारित जमा शुल्क की प्रति, विकासखंड श्रोत समन्वयक का निरीक्षण प्रतिवेदन, निक्षेप सुरक्षा निधि) अपने कार्यालय में संधारित करेंगे। मान्यता आवेदन निरस्त करने की स्थिति में भी कार्यालयीन प्रति जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा संधारित की जाएगी।

5 यदि कोई स्कूल जो निर्धारित मान एवं मापदंडो की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसे मान्यता आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्त किया जाए। जिला परियोजना समन्वयक निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

6 यदि कोई स्कूल बिना मान्यता/मान्यता निरस्त होने के उपरांत संचालित है तो उसके विरूद्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मान्यता के बिना कोई अशासकीय स्कूल संचालित न हो।

7 जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है यदि ऐसे स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु समयावधि में आवेदन नही करता है तो उस स्कूल की मान्यता निश्चित तिथि के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा किसी ऐसे स्कूल को संचालित करना निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन होगा तथा धारा 18 के अधीन दण्डनीय होगा।

8 जिला अन्तर्गत कोई भी अशासकीय स्कूल बगैर मान्यता के संचालित नही हो इसकी जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक की निर्धारित की जाती है।

8 – <u>जिला परियोजना समन्वयक से निरस्त मान्यता आवेदनों हेतु प्रथम अपील(कलेक्टर न्यायालय में) :–</u>

1. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यदि कोई मान्यता आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित स्कूल संचालक द्वारा आवेदन निरस्त होने के 30 दिवस की अवधि में कलेक्टर न्यायालय में अपील की जा सकती है। कलेक्टर द्वारा अपील का निराकरण अपील प्रस्तुत होने के 30 दिवस के भीतर किया जायेगा।
2. अपील आवेदनों का निराकरण कलेक्टर द्वारा 30 दिवस में किया जाकर अपील सुनवाई के पश्चात् मान्यता जारी की जाना है, अथवा नही, इसका स्पष्ट निर्णय पारित किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के पश्चात् जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपील का विवरण एवं मान्यता जारी करने हेतु कलेक्टर के आदेश को अपलोड करते हुए, आरटीई पोर्टल पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर से मान्यता प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया जावेगा।

9– <u>कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त किए जाने की स्थिति में द्वितीय अपील(आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के समक्ष) :–</u>

1. कलेक्टर द्वारा मान्यता अपील निरस्त होने के 30 दिवस के अंदर स्कूल द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के समक्ष की जा सकेगी।
2. द्वितीय अपील में स्कूल द्वारा अशासकीय विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेज एवं फोटोग्राफ, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निरस्त किये गये मान्यता आदेश की प्रति तथा कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करना होगी।
3. द्वितीय अपील सुनवाई के पश्चात आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मान्यता आवेदन की ऑनलाइन प्रकिया में अशासकीय स्कूलों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उसके निराकरण हेतु विकासखंड श्रोत समन्वयक कार्यालय एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में एक हेल्पडेस्क स्थापित की जाये एवं समस्याओं का विकासखंड स्तर/जिले स्तर पर ही त्वरित निराकरण किया जाये।

उपरोक्तानुसार नवीन मान्यता आवेदन/मान्यता नवीनीकरण हेतु संबधित अशासकीय स्कूलों को उक्त निर्देशों से अवगत कराऐं एवं इसके संबंध मे मीडिया तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसार कराते हुये नियमानुसार, पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित कराऐं।

18/12/24

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0 कमाक/राशिके/आरटीई/मान्यता/2024/5730 भोपाल, दिनांक 18.12.24

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सहायक, माननीय मंत्री म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल म.प्र. की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
5. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
7. प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही बाबत।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग म.प्र.।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म0प्र0 की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
11. समस्त संबंधित अशासकीय स्कूलों की ओर समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही बाबत।
12. एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्।

18/12/24

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र